

आवेदन में उल्लेखित प्रकरण जयपुर स्थित जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण संख्या 324/2022 (धारा 14 सेक्युरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002)
संबंधित बैंक का नाम - राष्ट्रीय बैंक, जयपुर।

प्राथी वित्तीय बैंक

बनाने

1. श्री विवेक कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोपाल शरण गुप्ता,
पता - फ्लैट नं. एस-4, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 558 पर स्थित, मुहाना सड़क नं. 02 के सामने, स्वर्ण विहार, ग्राम हाज्यावाला, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)।
एच 83/86, जयपुरी सार, मांगसरोवर, जयपुर।
2. श्रीमती प्रियंका गुप्ता पत्नी श्री विवेक कुमार गुप्ता,
पता - फ्लैट नं. एस-4, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 558 पर स्थित, मुहाना सड़क नं. 02 के सामने, स्वर्ण विहार, ग्राम हाज्यावाला, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)।
एच सी-31, हरिमानी, माखवीय नगर, जयपुर।

अप्रार्थी नाम

श्री एन. एन. एन.



The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री विरेन्द्र सेनी अधिवक्ता प्राथी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी श्रद्धा को दिनांक 15.02.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. एस-4, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 558 पर स्थित, मुहाना सड़क नं. 02 के सामने, स्वर्ण विहार, ग्राम हाज्यावाला, मुहाना रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को बन्धक रख कर 18,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी श्रद्धा द्वारा प्राथी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी श्रद्धा को दिनांक 23.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इनवाइड उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 18,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 18,94,708/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं. एस-4, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 558 पर स्थित, मुहाना मण्डी गेट नं. 02 के सामने, स्वर्ण विहार, ग्राम हाज्यावाला, मुहाना रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज), क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 08.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलेक्टर) जयपुर